

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2023 का परिपत्र सं.1

सं.130/01-परीक्षा/परीक्षा-1 और 2/2023

दिनांक:22/03/2023

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- वर्ष 2023 की एसएएस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता सेवा

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर स्टाफ नियुक्ति विंग परिपत्र संख्या 6- स्टाफ (ऐप 1)/2023, सं. 379- स्टाफ (ऐप-1)/18-2010/केडब्ल्यू दिनांक 03/03/2023 का संदर्भ लें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि 2023 की एसएएस-1 और 2 परीक्षा के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा किसी विशेष क्षेत्रीय कार्यालय में 03 वर्ष की निरंतर सेवा होगी।

2. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि 2022 की एसएएस परीक्षा-2 में उपस्थित होने के लिए आवश्यक पात्रता सेवा 02 वर्ष की निरंतर सेवा थी, इसलिए, जो अधिकारी 2022 की एसएएस परीक्षा-2 में पहले ही उपस्थित हो चुके हैं, वे एसएएस परीक्षा-2023 में शामिल होने के भी पात्र हैं। इसके अलावा, नए उम्मीदवार जो वर्ष 2022 में एसएएस परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें केवल ऊपर उल्लिखित स्टाफ नियुक्ति विंग के परिपत्र के अनुसार किसी विशेष क्षेत्रीय कार्यालय में 03 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर ही एसएएस परीक्षा -2023 में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

भवदीय,



(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं.104/01-परीक्षा/परीक्षा-1 और 2/2023
दिनांक:09/03/2023

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- डीआरएओ (सीजीएलई 2016 के माध्यम से एएओ के पद पर नियुक्ति के लिए नामांकित उम्मीदवार), जिनकी परीक्षा अवधि 5वें वर्ष तक बढ़ा दी गई है, के लिए सीमित एसएस परीक्षा 2023 की डेट शीट।

महोदया/महोदय,

डीआरएओ (सीजीएलई 2016 के माध्यम से एएओ के पद पर नियुक्ति के लिए नामांकित उम्मीदवार) जिनकी परीक्षा अवधि 5वें वर्ष तक बढ़ा दी गई है, के लिए सीमित एसएस परीक्षा 2023 23 और 24 मार्च 2023 को आरटीसी, बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पेपर में उम्मीदवारों की संख्या के साथ परीक्षा की डेट शीट निम्नानुसार है:

| लागू विषय | 23 मार्च 2023 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक | 23 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे | 24 मार्च 2023 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक | 24 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे |
|-----------|---|--|---|--|
| पीसी-03 | 1 | | | |
| पीसी-05 | | | | 1 |
| पीसी-08 | | 4 | | |
| पीसी-12 | | 2 | | |
| पीसी-14 | | | 2 | |
| पीसी-15 | | | | 1 |
| पीसी-16 | 12 | | | |
| पीसी-19 | | 2 | | |
| पीसी-20 | 1 | | | |
| पीसी-22 | | 1 | | |
| पीसी-26 | | | 3 | |

संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं.99/13-परीक्षा/परीक्षा-1/2022
दिनांक:27/02/2023

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- दिसम्बर 2022 में आयोजित 2022 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II & III की परीक्षा-2 के परिणाम।

महोदया/महोदय,

दिसंबर 2022 में आयोजित 2022 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II & III परीक्षा 2 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम डाउनलोड करने का लिंक <https://cagi.azurewebsites.net> है। यह सीएजी की वेबसाइट पर परीक्षा के अन्तर्गत उपलब्ध है।

क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित कार्यालय के परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके परिणाम देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

भवदीय,



(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं.82/01-परीक्षा/परीक्षा-1 और 2/2023

दिनांक:03/02/2023

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- 2023 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II और III की परीक्षा-1

महोदया/महोदय

2023 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II और III की परीक्षा-1, 2 मई से 9 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की डेट शीट की सूचना यथासमय दी जाएगी। 2023 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II और III की परीक्षा-1 के लिए पंजीकरण 27 फरवरी 2023 को शुरू होगा और 15 मार्च 2023 को समाप्त होगा। परीक्षा के लिए पात्रता की कट-ऑफ तिथि 1 मार्च 2023 है।

पंजीकरण प्रक्रिया के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए एक समूह अधिकारी को परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित किया जा सकता है। नए उम्मीदवारों की सेवा पुस्तकों में उल्लिखित मूल डेटा यानी नाम, जन्म तिथि, श्रेणी आदि को ईआरओ द्वारा पंजीकरण फॉर्म के पहले भाग में दर्ज किया जा सकता है। तत्पश्चात् नए अभ्यर्थी पंजीकरण फॉर्म के दूसरे भाग को स्वयं भरेंगे। ईआरओ द्वारा सक्रिय किए जाने के बाद मौजूदा उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म के दूसरे भाग को भरेंगे। ईआरओ एचओडी को उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी देने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में दर्ज किए गए डेटा को सत्यापित और मान्य करेगा। डेटा की शुद्धता का दायित्व पूरी तरह से फील्ड कार्यालयों पर है। ईआरओ सत्यापन/एचओडी अनुमोदन सहित पंजीकरण प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है लेकिन नवीनतम 22 मार्च 2023 तक उम्मीदवार के पंजीकरण के बाद उसके अवसर की गणना की जाएगी और वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

यदि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो मामले को तुरंत, केवल ईमेल के माध्यम से एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट किया जा सकता है।

जो अधिकारी विभाग के भीतर अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अपनी इच्छा/आवदेन सीधे अपने मूल कार्यालयों के प्रशासन शाखा/नियुक्ति कार्यालयों के अनुभाग को सूचित करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया/अन्य परीक्षा संबंधी मुद्दों को समय पर पूरा करने के लिए सीधे अपने मूल कार्यालयों के साथ सभी परीक्षा संबंधी संचार करेंगे।

पंजीकरण के लिए लिंक <https://cagi.azurewebsites.net/> है। पंजीकरण/अनुमोदन के लिए ईआरओ और एचओडी का यूजर आईडी और पासवर्ड वही होगा जो 2022 की परीक्षा-2 के लिए था।

सभी संचार ईमेल आईडी saoexam@cag.gov.in के ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा, शीघ्र/समय पर संचार के लिए वरिष्ठ ले.अ./एओ, जो फील्ड कार्यालयों में परीक्षा मामलों को देखते हैं, वे अपना मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी वरिष्ठ प्र.अ. (परीक्षा) के साथ उपरोक्त ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर 9899833460 पर साझा कर सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,



(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.19

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं. 661/07-परीक्षा/आरआई प्रमाणपत्र/2007 खण्ड.IV/2022

दिनांक 20/12/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- व.ले.अ./स.ले.अ. के लिए राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आरआई) के आयकर मामलों में प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित होने के लिए लेखा शास्त्र परीक्षा के रूप में मान्यता के लिए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आरआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 'प्रमाणपत्र' का आनलाइन सृजन


महोदया/महोदय,

परीक्षा विंग का दिनांक 22/3/1991 का परिपत्र सं. 1991 का 3 और 20/11/1991 का परिपत्र सं. 1991 का 20 के लिए राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा के लिए व.ले.अ./स.ले.अ. (तत्कालीन अ.अ./स.ले.प.अ.) के संबंध में आयकर मामलों में एक मान्यता प्राप्त लेखाशास्त्र परीक्षा में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288(2) (V) और आयकर 1962 का यथा संशोधित नियम 50 का संदर्भ लिया जा सकता है।

मौजूदा प्रणाली में, आरआई उत्तीर्ण अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं, को क्षेत्रीय कार्यालयों (विभागाध्यक्षों) द्वारा, इस कार्यालय से परिणाम सत्यापित करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

मामले की समीक्षा की गई है और विलम्ब से बचने के लिए आरआई उत्तीर्ण अधिकारियों को उनके उत्तीर्ण परिणामों के साथ प्रमाणपत्र जारी करने और प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आनलाइन प्रमाणपत्र सृजित करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय में सत्यापन के लिए आरआई उत्तीर्ण अधिकारियों के आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। विभागाध्यक्ष मुख्यालय द्वारा आयोजित आरए परीक्षा पास करने के बाद अपने स्तर पर सेवानिवृत्त या शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों से प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए प्रमाणपत्र डाउनलोड और जारी कर सकते हैं।

भवदीय,



(हीरक बागची)

व.प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

अति तत्काल
संख्या 634/13-परीक्षा/परीक्षा-1/2022
दिनांक 03/12/2022

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III परीक्षा-2022 की परीक्षा-2 के लिए प्रवेश पत्र
महोदया/महोदय,

एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III परीक्षा-2022 की परीक्षा-2 के लिए प्रवेश पत्र
सीएजी की वेबसाइट में परीक्षा पोर्टल पर सक्रिय है। अभ्यर्थियों को तुरन्त अपनी लाग इन
आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई
विसंगति पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए केवल एक्सेल प्रारूप (अभ्यर्थी का नाम, लाग
इन आईडी, इंडेक्स सं और विसंगति) में ईमेल द्वारा saoexam@cag.gov.in पर भेजें, किन्तु
05/12/2022 को सांय 6.00 बजे के बाद नहीं।

संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से सूचना दी जा सकती है।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 630/13-परीक्षा/परीक्षा-1 एवं 2/2022

दिनांक 28/11/2022

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- 2022 की एसएस/आईई परीक्षा-2 में पीसी-4 और आईई-4 (आईटी प्रैक्टिकल) परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित मूल्यांकन प्रणाली

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मूझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने पीसी-4 और आईई-4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यावहारिक) एसएस/आई ई परीक्षा के पेपर में बैठने वाले उम्मीदवारों के सम्मुख आने वाली तकनीकी समस्याओं/ गड़बड़ियों का संज्ञान लेते हुए संबंधित आउटसोर्स एजेंसी के परामर्श से 2022 की एसएस/आईई परीक्षा-2 में पीसी-4 और आईई-4 (आईटी प्रैक्टिकल) परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

2. 'संशोधित मूल्यांकन प्रणाली' में पीसी-4 और आईई-4 (आईटी प्रैक्टिकल) पेपर के लिए उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली चरण-दर-चरण विधि/ दिशानिर्देश अनुबंध-1 में संलग्न है।
3. इस संदर्भ में यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार पंजीकरण के उद्देश्य से प्रदान किए गए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर उन्हें पीसी-4 और आईई-4 (आईटी प्रैक्टिकल) पेपर की संशोधित मूल्यांकन प्रणाली से परिचित कराने के लिए लिंक <https://cag.meritracpariksha.com/mtacs/cag.html> के माध्यम से 'डेमो टेस्ट' दे सकते हैं। डेमो टेस्ट के लिए उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले चरण और निर्देश अनुबंध-11 में संलग्न है।
4. इस संबंध में सभी संबंधित उम्मीदवारों को उचित रूप से सूचित किया जाए।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

संख्या 631/08-परीक्षा/संवर्ग पुर्नसंरचना/2020
दिनांक 28/11/2022

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- सहायक पर्यवेक्षक 2022 के रूप में पदोन्नति हेतु व. लेखापरीक्षकों/व.लेखाकारों की प्रशिक्षणान्त परीक्षा।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर परीक्षा विंग के दिनांक 29/09/2022 के पत्र सं. 422/08-परीक्षा/संवर्ग पुर्नसंरचना/2022 का संदर्भ लें।

2. सहायक पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/व. लेखाकारों की प्रशिक्षणान्त परीक्षा 07/12/2022 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा आफलाइन/आनलाइन के माध्यम से आयोजित की जा सकती है, जिसका निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानीय परिस्थिति/आधारभूत संरचना को देखते हुए लिया जाएगा। कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
3. अभ्यर्थी वहीं से परीक्षा में बैठेंगे जहाँ पर वह नियुक्त हैं, बशर्तें वहाँ आईए एवं एडी का कार्यालय है। तदनुसार, अभ्यर्थी और कार्यालय एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे।
4. परीक्षा के प्रश्न पत्र विभागाध्यक्ष/नामित अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत ई-मेल आईडी पर 6 दिसम्बर 2022 को दोपहर 12 बजे तक भेज दिए जाएंगे। यदि किसी को 6 दिसम्बर 2022 को सायं 2 बजे तक प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हों तो वह तुरन्त अद्योहस्ताक्षरी को संपर्क करेंगे।
5. लेखापरीक्षा और लेखा शाखा दोनों के प्रश्न पत्र सभी कार्यालयों को प्रदान किए जाएंगे। वे अपनी आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कार्यालय को प्रश्न पत्र (पत्रों) की आवश्यकता नहीं है, तो वह इसे अनदेखा कर सकते हैं।
6. उत्तर कुंजी परीक्षा की समाप्ति के बाद प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

9899833460

saoexam@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 628/13-परीक्षा/परीक्षा-I/2022

दिनांक 24/11/2022

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- वर्ष 2022 की परीक्षा-2 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II एवं III की परीक्षाओं की डेट शीट।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2022 की परीक्षा-2 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II एवं III की परीक्षाएं दिनांक 15/12/2022 से 20/12/2022 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की डेट शीट निम्नानुसार है:-

| परीक्षा तिथि | दिन | पूर्वाह्न सत्र (10 से 12 बजे तक) (पीसी-I, 10 से 12:30 बजे तक) | अपराह्न सत्र (02 बजे से 04 बजे तक) |
|--------------|-------------|--|------------------------------------|
| 15/12/2022 | बृहस्पतिवार | पीसी- 8, 9, 10, 11, एवं 12 | पीसी-2, सी-1, सी-3 एवं सी-5 |
| 16/12/2022 | शुक्रवार | पीसी- 16, 17, 18, 19, एवं 20 | पीसी-27, आई ई-1 एवं आरई-1 |
| 17/12/2022 | शनिवार | पीसी-3 एवं आई ई-3 | पीसी-13, 14, एवं 15, एवं आरई-2 |
| 19/12/2022 | सोमवार | पीसी-5, 6, 7, सी-2, सी-4 एवं सी-6 | पीसी- 21, 22, 23, 24, 25, एवं 26 |
| 20/12/2022 | मंगलवार | पीसी-1 और आई ई-2 | पीसी-4 एवं आई ई- 4 |

सभी संबंधितों को उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

तत्काल

संख्या 627/13-परीक्षा/परीक्षा-I/2022

दिनांक 24/11/2022

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- इस परीक्षा के विशेष मामले के रूप में वर्ष 2022 की परीक्षा-2 की पात्रता की कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन।

महोदया/महोदय,

कृपया परीक्षा विंग के एसएस/आरए/आई/सीपीडी I, II, और III की परीक्षा -2, 2022 के संबंध में पत्र स. 421/13-परीक्षा/परीक्षा-I/2022 दिनांक 27/09/2022 का संदर्भ लें, जिसमें 2022 की परीक्षा-2 की पात्रता की कट-ऑफ तिथि की सूचना 1 सितंबर, 2022 दी गई थी। इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस परीक्षा के लिए एक विशेष मामले के रूप में उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की कट-ऑफ तिथि बदल कर

1 नवंबर, 2022 करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार पंजीकरण पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। ईआरओ सत्यापन और एचओडी अनुमोदन सहित पंजीकरण प्रक्रिया को **30/11/2022 को या उससे पहले निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए।** 30/11/2022 से आगे तिथि का कोई विस्तार नहीं होगा।
3. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित परीक्षा विंग के पत्र दिनांक 27/09/2022 के अनुसार अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय



(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

(केवल आईएएंडएडी के लिए)

संख्या 476/16-परीक्षा/एसएस/पेपर समीक्षा/2022

दिनांक 27/10/2022

2022 का परिपत्र संख्या 18

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएस) परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएस) परीक्षा पाठ्यक्रम, पेपर और प्रश्नों के पैटर्न की समीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने एडीआई (स्टाफ) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सक्षम प्राधिकारी ने गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एसएस परीक्षा के पेपर वार छूट मैट्रिक्स के साथ संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है।

2. एसएस परीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम और पैटर्न की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
 - क) सिविल लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा को मिलाकर परीक्षाओं की शाखाओं की संख्या को 7 से 6 शाखाओं तक पुर्नगठित किया गया है।
 - ख) पेपरों की संख्या (पीसी) को 27 से 20 पेपरों तक पुर्नगठित किया गया है।
 - ग) एक उम्मीदवार को 4 पेपरों के 2 समूहों में 8 पेपर पास करने होंगे।
 - घ) समूह-1 के 4 में से 3 पेपर, सभी शाखाओं के लिए सामान्य हैं [पीसी-1 भाषा कौशल, पीसी-2 सरकारी लेखापरीक्षा और पीसी-3 सूचना प्रौद्योगिकी (सिद्धांत और व्यावहारिक)]।
3. एसएस परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम 2024 की परीक्षा-11 से लागू किया जाएगा।
4. पेपर वार छूट मैट्रिक्स के साथ संशोधित पाठ्यक्रम जानकारी के लिए संलग्न है। इसे सीएजी की वेबसाइट (cag.gov.in>Departmental Examinations>Syllabus & Books) से देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

भवदीय

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

(केवल आईएएंडएडी के लिए)

संख्या 466/33-परीक्षा/छूट/एससी एवं एसटी/2019

दिनांक 19/10/2022

2022 का परिपत्र संख्या 17

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- 2022 में आयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा (एसएस) परीक्षा-2-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदया/महोदय,

भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्टूबर 2000 के पत्र सं 36012/23/96-स्था. (आरईएस) खण्ड-11 के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक ने दिसम्बर 2022 में आयोजित होने वाली 2022 की अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा-2 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित परीक्षार्थियों को अनुमत की जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानीपूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगी।

अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा, परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 5% तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, उन परीक्षार्थियों को जो विशिष्ट प्रश्न पत्र में 40% से कम अंक प्राप्त नहीं करते हैं, को उस प्रश्नपत्र में छूट के साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5% तक अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट केवल 2022 की अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, की परीक्षा-2 के लिए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली ऐसी परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु.ज.जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

भवदीय



(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124
परीक्षा अनुभाग

(केवल आईएएंडएडी के लिए)
संख्या 438/18-परीक्षा/एएओ से व.ले.अ. पदोन्नती/2020
दिनांक 30/09/2022

2022 का परिपत्र संख्या 16

सेवा में


भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए स.ले/ले.प.अ. की अनिवार्य प्रशिक्षणान्त परीक्षा में बेंचमार्क।

महोदया/महोदय,

सक्षम प्राधिकारी ने वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए स.ले/ले.प.अ. की अनिवार्य प्रशिक्षणान्त परीक्षा में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

- (i) वरिष्ठ ले./ले.प.अ के रूप में पदोन्नति के लिए स.ले/ले.प.अ. की प्रशिक्षणान्त परीक्षा में न्यूनतम 45% बेंचमार्क।
- (ii) वरिष्ठ ले./ले.प.अ. के पदों पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणान्त परीक्षा में न्यूनतम 45% बेंचमार्क की शर्त अगले प्रशिक्षण से प्रभावी होगी।
- (iii) परीक्षा का पेपर इस कार्यालय द्वारा बनाया जाएगा।


(हीरक बागची)
व.प्र.अ.(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं.320/154-परीक्षा/एसएस/आरई/आई/2012
दिनांक 06/07/2022

2022 का परिपत्र सं.15

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: एसएस परीक्षा में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को उत्तीर्ण प्रतिशत में छूट।

महोदय/महोदया,

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन (डीओपीटी) कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 17/05/2022 के का.जा.सं. 360/2/1/2020-स्था (रेस-II) का संदर्भ लें, जो निंबधित करता है कि यदि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों (विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/विभागीय परीक्षा इत्यादि के माध्यम से पदोन्नति के मामले में) को भरने के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर उपलब्ध नहीं है, तो इस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों को उनके लिए भरने के लिए मानकों से छूट पर चुना जा सकता है, बशर्ते वह ऐसे पर या पदों के लिए अनुपयुक्त न पाए गए हों।

2. इसके अलावा, दिनांक 17/05/2022 के उक्त कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/1/2020-स्था(आरईएस-II) के पैरा 8.2 में कहा गया है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए समान छूट मानक लागू किए जाने चाहिए, चाहे वह अनारक्षित/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी से संबंधित हों। किसी भी श्रेणी में किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में और कोई छूट नहीं दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी।

3. दिनांक 17/05/2022 के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/1/2020-स्था(आरईएस-II) के पैरा 8 के अनुपालन में और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग में एएओ की समग्र कमी को देखते हुए, भारत के सीएजी ने पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अधिकारियों को जो 2022 की एसएस परीक्षा एवं II में बैठ रहे हैं, एसएस परीक्षा के प्रत्येक पेपर में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी है। प्रत्येक पेपर में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के बाद एक पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अधिकारी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ साथ सामान्य अभ्यर्थी के लिए 45 प्रतिशत अंकों के मुकाबले उस पेपर में छूट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के एससी/एसटी कर्मचारी जिन्हें पहले से ही प्रत्येक पेपर में 5 प्रतिशत अंकों की छूट मिल रही है, उन्हें अपनी बेंचमार्क अक्षमताओं के कारण कोई और छूट नहीं मिलेगी और उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ साथ प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

(हीरक बागची)

व. प्रशासनिक अधिकारी(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं.316/11-परीक्षा/स्पीड टेस्ट स्टेनो/2021

दिनांक 30/06/2022

2022 का परिपत्र सं.14

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग परिदृश्य में आशुलिपि में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर अर्हक गति परीक्षण पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को दी गई अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

इस विषय पर स्टाफ विंग के दिनांक 31/08/2021 के परिपत्र सं. 191- स्टाफ हकदारी(नियम)/ए.आर/03-202 एवं इस विषय पर परीक्षा विंग के दिनांक 03/11/2021 का संदर्भ लें।


मुख्यालय में परीक्षा विंग को उपरोक्त विषय पर आचरण/पात्रता आदि के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्रों के साथ साथ फोन काल भी प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार मांगे गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:-

| क्रम संख्या | विवरण | स्पष्टीकरण |
|-------------|--|---|
| 1. | क्या वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक/व्यक्तिगत सहायक/स्टेनो ग्रेड-1 (सी)/स्टेनो ग्रेड-II (डी) सभी स्पीड टेस्ट के लिए पात्र हैं। | जी हाँ, वह कर्मों जो आईएएवं एडी में प्रारंभ में स्टेनोग्राफर संवर्ग में भर्ती हुए थे पात्र हैं। |
| 2. | स्पीड टेस्ट के लिए अपेक्षित पात्रता/न्यूनतम सेवा क्या है? | परिचीक्षा की समाप्ति के बाद कोई न्यूनतम सेवा अपेक्षित नहीं है। परिचीक्षा पूरा करना आवश्यक है। |
| 3. | अर्हक अंक क्या है। | स्पीड टेस्ट निर्धारित समय गति के साथ प्रतिलेखन को सही ढंग से पूरा करने पर आधारित है (100/120 शब्द प्रति मिनट)। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग (यूआर) के लिए 5% और 7% आरक्षित वर्ग के लिए त्रुटियां/गलतियां अनुमत है। |
| 4. | स्पीड टेस्ट की अवधि | 100 शब्द प्रति मिनट स्पीड टेस्ट के लिए:- |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>अंग्रेजी या हिन्दी (अभ्यर्थी के विकल्प के अनुसार) में 10 मिनट की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। सार कम्प्यूटर में प्रतिलिपित किया जाएगा। अंग्रेजी में प्रतिलिपित अवधि 40 मिनट है और हिन्दी में 55 मिनट है (लेखन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 55 मिनट और 75 मिनट)।</p> <p>120 शब्द प्रति मिनट स्पीड टेस्ट के लिए:-</p> <p>अंग्रेजी या हिन्दी (अभ्यर्थी के विकल्प के अनुसार) में 10 मिनट की डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। सार कम्प्यूटर में प्रतिलिपित किया जाएगा। अंग्रेजी में प्रतिलिपित अवधि 30 मिनट है और हिन्दी में 45 मिनट है (लेखन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 45 मिनट और 65 मिनट)।</p> |
| 5. | स्वीकार्य अवसरों की संख्या | तीन |
| 6. | स्पीड टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र (लेख/पैराग्राफ) तैयार करना/बनाना। | स्पीड टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र (लेख/पैराग्राफ) स्थानीय रूप से ऐसे अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा जो डीएजी/उप-निदेशक पद से कम का न हो। |
| 7. | अग्रिम वेतन वृद्धि कौन संस्वीकृत करेगा? | निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करने के बाद विभागाध्यक्ष |

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय


(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 221/33-परीक्षा/छूट/एससी एवं एसटी अभ्यर्थी/2019

दिनांक 11/05/2022

2022 का परिपत्र सं.13

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएस) परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट के स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और भारत सरकार, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के निर्देशों के अनुसारण में दिनांक 3 अक्टूबर 2000 को जारी सं. 36012/23/96-स्था (आरईएस) खण्ड - II, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 17/05/2022 से 23/05/2022 को आयोजित होने वाली 2022 की एसएस परीक्षा - I के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट की सीमा पर ध्यान से विचार किया है और यह तय किया है कि छूट सीमा निम्न प्रकार होगी:-

एसएस के सभी पेपरों में प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, वह अभ्यर्थी जो व्यक्तिगत पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है उसे उस पेपर में 5 प्रतिशत तक के अंक की छूट दी जाएगी, उसे पास करने के साथ साथ उस पेपर में छूट भी दी जाएगी।

उपरोक्त छूट केवल 2022 की एसएस परीक्षा - I के संबंध में है। एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए भविष्य की एसएस परीक्षा के लिए इस तरह की छूट की सीमा की समीक्षा की जाएगी और इस तरह की परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

इस छूट का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उचित रूप से उपर्युक्त छूट की जानकारी दी जानी चाहिए।

भवदीय,

हस्ता/-

(के.एस. रामवालिया)

प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,

10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं.212/13-परीक्षा/परीक्षा/2022

दिनांक-06/05/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- वर्ष 2022 की परीक्षा-1 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1,॥ एवं ॥॥ की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट।

महोदया/महोदय,

वर्ष 2022 की परीक्षा-1 की एसएस/आरए/सीपीडी-1,॥ एवं ॥॥ परीक्षाएं दिनांक 17/05/2022 से 23/05/2022 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की संशोधित डेट शीट निम्नानुसार है:-

| परीक्षा तिथि | दिन | पूर्वाह्न सत्र (10 से 12 बजे तक) (पीसी-1, 10 से 12:30 बजे तक) | अपराह्न सत्र (02 बजे से 04 बजे तक) |
|--------------|-------------|---|------------------------------------|
| 17/05/2022 | मंगलवार | पीसी - 8,9,10,11 एवं 12 | सी-1, सी-3 एवं सी-5 |
| 18/05/2022 | बुधवार | पीसी- 16,17,18,19 एवं 20 | पीसी-27, आई ई-1 एवं आरएई-1 |
| 19/05/2022 | बृहस्पतिवार | पीसी-3 एवं आई ई-3 | पीसी-13,14 एवं 15 |
| 20/05/2022 | शुक्रवार | पीसी-1 एवं आरएई-2 | सी-2 एवं आरएई-2 |
| 21/05/2022 | शनिवार | पीसी-5,6 एवं 7 | पीसी-21,22,23,24,25 एवं 26 |
| 23/05/2022 | सोमवार | सी-2, सी-4 एवं सी-6 | पीसी-4, एवं आई ई-4 |

सभी संबंधितों को उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।

भवदीय,

(हीरक बागची)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.12

सं. 186/43-परीक्षा/एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा/219

दिनांक 08/04/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा, 2022 का आयोजन

महोदया/महोदय,

एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2022, 2022-23 और 2023-24 के दौरान व.लेपअ/सलेपअ के लिए एम्बेसी लेखापरीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची के लिए परीक्षा 8 मई 2022 को 03बजे से 04 बजे के दोपहर के सत्र में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। सभी शाखाओं से अधिकारी अर्थात् लेखापरीक्षा/लेखा इत्यादि जो अनुलग्नक -1 में दिए गए योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन पंजीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रारंभ होगा और 18 अप्रैल 2022 को समाप्त होगा। ईआरओ सत्यापन और एचओडी अनुमोदन साथ साथ 25 अप्रैल 2022 तक पूरा किया जा सकता है।

2. जबकि किसी कार्यालय से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल योग्य अधिकारियों के नामों की ही अनुशंसा की जाए। पूरी प्रक्रिया अर्थात् पात्र अधिकारियों द्वारा आवेदन फार्म भरना, डाटा का सत्यापन और विभागाध्यक्ष की अनुशंसा आनलाइन पंजीकरण लिंक <https://cagi.azurewebsites.net> के माध्यम से करना अपेक्षित है। अनुशंसित अधिकारी अनुबंध-2 में पंजीकरण फार्म (बायो डाटा) भरें और प्रस्तुत करें।

3. परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) मोड में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर सात शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकता, गुवाहाटी, बेंगलोर और हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी

अनुलग्नक-3 में दी गई सूची के अनुसार परीक्षा केन्द्र का चयन कर सकते हैं। परीक्षा के सटीक स्थान की सूचना नियत समय में दी जाएगी।

4. वर्ष 2022 की परीक्षा-1 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III के आनलाइन पंजीकरण के लिए लागिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग विभागाध्यक्षों और परीक्षा पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2022 के पोर्टल तक पहुँच के लिए किया जाएगा।

5. आनलाइन पंजीकरण फार्म तीन भागों में विभाजित किया गया है- भाग-1 अभ्यर्थी का प्रोफाइल, भाग-II परीक्षा विवरण और अपलोड भाग (दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए) और भाग-III एपीएआर ग्रेडिंग। भाग I एवं III कार्यालय द्वारा भरा जाना है जबकि अभ्यर्थियों को भाग-II भरना है और प्रासंगिक दस्तावेज, उनकी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अपेक्षित है। आनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश और पंजीकरण फार्म का प्रारूप पिछले यूएन ऑडिट परीक्षा 2020 के लिए जारी निर्देशों के अनुसार समान होगा जो यूजफुल लिंक के अन्तर्गत सीएजी की वेबसाइट के परीक्षा मोड्यूल पर उपलब्ध है।

6. इस स्तर पर एपीएआर की फोटोकॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि 2020-21 तक पिछले पाँच वर्षों के लिए एपीएआर के सार के साथ आपकी सिफारिशें वरिष्ठ डीएजी/निदेशक/डीएजी/डीडी(प्रशासन)/निदेशक(पी)/डी जी(वाणिज्यिक) द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक 4) में सर्तकता/अनुशासनात्मक मंजूरी प्रमाणपत्र, और दंड/प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निलंबन, डाइस नान और आपराधिक आरोप मंजूरी प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पंजीकरण के समय अपलोड किया जा सकता है।

7. ईआरओ को एम्बेसी आडिट परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों की निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार आनलाइन पंजीकरण फार्म में दर्ज डाटा को सत्यापित और मान्य करना अपेक्षित होगा। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशिक्षित अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

8. अभ्यर्थियों की सेवा और अन्य विवरणों के बिना आनलाइन जमा किया गया नामांकन, पिछले उपलब्ध पाँच वर्षों के लिए प्रमाणित एपीएआर ग्रेडिंग, सर्तकता/अनुशासनात्मक मंजूरी प्रमाणपत्र और अतीत में दंड/ प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निलंबन, डाइस नान और आपराधिक आरोप मंजूरी प्रमाणपत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

9. ऑफलाइन आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन और आपकी सिफारिश पंजीकरण विंडों खुलने पर

केवल आनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन बिना किसी नोटिस के रद्द/समाप्त किया जा सकता है और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

10. जो अधिकारी एम्बेसी आडिट के लिए चुने जाने के बाद अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेते हैं (स्वयं या सीधे परिवार के सदस्यों की सर्जरी जैसे गंभीर चिकित्सा आधार को छोड़कर) को एक विशिष्ट अवधि के लिए या अन्तर्राष्ट्रीय कार्य/अन्तर्राष्ट्रीय तैनाती/अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए बैठने/आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

11. यदि आनलाइन पंजीकरण के दौरान कोई भी कठिनाई हो तो, संबंधित कार्यालय व.प्र.अ(परीक्षा) को फोन पर संपर्क किया जा सकता है (011-23236510/9899833460)। गंभीर समस्या यदि कोई हो तो, को तुरन्त महानिदेशक(परीक्षा) के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

भवदीय



(हीरक बागची)

व.प्र.अ(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.11

सं. 185/04-परीक्षा/यूएन लेखापरीक्षा परीक्षा/219

दिनांक 08/04/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: यूएन लेखापरीक्षा परीक्षा, 2022 का आयोजन

महोदया/महोदय,

यूएन लेखापरीक्षा परीक्षा 2022, 2022-23 और 2023-24 के दौरान व.लेपअ/सलेपअ के लिए यूएन लेखापरीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची के लिए परीक्षा 8 मई 2022 को 10बजे से 01 बजे के दोपहर के सत्र में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। सभी शाखाओं से अधिकारी अर्थात् लेखापरीक्षा/लेखा इत्यादि जो अनुलग्नक -1 में दिए गए योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन पंजीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रारंभ होगा और 18 अप्रैल 2022 को समाप्त होगा। ईआरओ सत्यापन और एचओडी अनुमोदन साथ साथ 25 अप्रैल 2022 तक पूरा किया जा सकता है।

2. जबकि किसी कार्यालय से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल योग्य अधिकारियों के नामों की ही अनुशंसा की जाए। पूरी प्रक्रिया अर्थात् पात्र अधिकारियों द्वारा आवेदन फार्म भरना, डाटा का सत्यापन और विभागाध्यक्ष की अनुशंसा आनलाइन पंजीकरण लिंक <https://cagi.azurewebsites.net> के माध्यम से करना अपेक्षित है। अनुशंसित अधिकारी अनुबंध-2 में पंजीकरण फार्म (बायो डाटा) भरें और प्रस्तुत करें।

3. परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) मोड में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर सात शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकता, गुवाहाटी, बेंगलोर और हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी

अनुलग्नक-3 में दी गई सूची के अनुसार परीक्षा केन्द्र का चयन कर सकते हैं। परीक्षा के सटीक स्थान की सूचना नियत समय में दी जाएगी।

4. वर्ष 2022 की परीक्षा-1 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III के आनलाइन पंजीकरण के लिए लागिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग विभागाध्यक्षों और परीक्षा पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा यूएन लेखापरीक्षा परीक्षा 2022 के पोर्टल तक पहुँच के लिए किया जाएगा।

5. आनलाइन पंजीकरण फार्म तीन भागों में विभाजित किया गया है- भाग-1 अभ्यर्थी का प्रोफाइल, भाग-II परीक्षा विवरण और अपलोड भाग (दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए) और भाग-III एपीएआर ग्रेडिंग। भाग I एवं III कार्यालय द्वारा भरा जाना है जबकि अभ्यर्थियों को भाग-II भरना है और प्रासंगिक दस्तावेज, उनकी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अपेक्षित है। आनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश और पंजीकरण फार्म का प्रारूप पिछले यूएन ऑडिट परीक्षा 2020 के लिए जारी निर्देशों के अनुसार समान होगा जो यूजफुल लिंक के अन्तर्गत सीएजी की वेबसाइट के परीक्षा मोड्यूल पर उपलब्ध है।

6. इस स्तर पर एपीएआर की फोटोकॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि 2020-21 तक पिछले पाँच वर्षों के लिए एपीएआर के सार के साथ आपकी सिफारिशें वरिष्ठ डीएजी/निदेशक/डीएजी/डीडी(प्रशासन)/निदेशक(पी)/डी जी(वाणिज्यिक) द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक 4) में सर्तकता/अनुशासनात्मक मंजूरी प्रमाणपत्र, और दंड/प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निलंबन, डाइस नान और आपराधिक आरोप मंजूरी प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पंजीकरण के समय अपलोड किया जा सकता है।

7. ईआरओ को यूएन आडिट परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों की निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार आनलाइन पंजीकरण फार्म में दर्ज डाटा को सत्यापित और मान्य करना अपेक्षित होगा। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशिक्षित अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

8. अभ्यर्थियों की सेवा और अन्य विवरणों के बिना आनलाइन जमा किया गया नामांकन, पिछले उपलब्ध पाँच वर्षों के लिए प्रमाणित एपीएआर ग्रेडिंग, सर्तकता/अनुशासनात्मक मंजूरी प्रमाणपत्र और अतीत में दंड/ प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निलंबन, डाइस नान और आपराधिक आरोप मंजूरी प्रमाणपत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

9. आफलाइन आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन और आपकी सिफारिश पंजीकरण विंडो खुलने पर

केवल आनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन बिना किसी नोटिस के रद्द/समाप्त किया जा सकता है और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

10. जो अधिकारी यूएन आडिट के लिए चुने जाने के बाद अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेते हैं (स्वयं या सीधे परिवार के सदस्यों की सर्जरी जैसे गंभीर चिकित्सा आधार को छोड़कर) को एक विशिष्ट अवधि के लिए या अन्तर्राष्ट्रीय कार्य/अन्तर्राष्ट्रीय तैनाती/अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए बैठने/आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

11. यदि आनलाइन पंजीकरण के दौरान कोई भी कठिनाई हो तो, संबंधित कार्यालय व.प्र.अ(परीक्षा) को फोन पर संपर्क किया जा सकता है (011-23236510/9899833460)। गंभीर समस्या यदि कोई हो तो, को तुरन्त महानिदेशक(परीक्षा) के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

भवदीय



(हीरक बागची)
व.प्र.अ(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

सं. 158/13-परीक्षा/परीक्षा-1/2022

दिनांक 29/03/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: वर्ष 2022 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III परीक्षा-1

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया परीक्षा अनुभाग के पत्र (दिनांक 08/03/2022 की सं.
117/13- परीक्षा/परीक्षा-1) का संदर्भ लें।

वर्ष 2022 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II एवं III परीक्षा-1 के लिए पंजीकरण 1
अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा और 18 अप्रैल 2022 को समाप्त होगा। परीक्षा की तिथि और
कार्यक्रम की सूचना यथा समय दी जाएगी।

पंजीकरण प्रक्रिया के प्रबन्धन और पर्यवेक्षण के लिए एक समूह अधिकारी को परीक्षा
पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित किया जा सकता है। नए अभ्यर्थियों की सेवा
पुस्तिका में उल्लिखित मूल डाटा अर्थात् नाम जन्मतिथि, श्रेणी आदि को ईआरओ द्वारा पंजीकरण
फार्म के पहले भाग में दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद, नए अभ्यर्थी पंजीकरण के दूसरे
भाग को स्वयं पूरा करेंगे। मौजूदा अभ्यर्थी ईआरओ द्वारा एक्टीवेशन के बाद पंजीकरण फार्म
का दूसरा भाग भरेंगे। ईआरओ आनलाइन पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट डाटा को सत्यापित और
प्रमाणित करेगा ताकि एचओडी उनकी अभ्यर्थिता को अनुमोदित कर सके। डाटा की सटीकता
की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों की है। ईआरओ सत्यापन/एचओडी अनुमोदन
सहित पंजीकरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है किन्तु 23 अप्रैल 2022
तक। एक अभ्यर्थी के पंजीकरण के बाद उसका अवसर गिना जाएगा और वापसी की कोई
गुंजाइश नहीं है।

यदि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो मामले को तुरन्त एक्सेल/वर्ड फार्मेट (पीडीएफ फार्मेट में नहीं) में केवल ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकता है।

जो अधिकारी विभाग के भीतर अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर है, वे अपनी सहमति/आवेदन सीधे अपने मूल कार्यालयों को अपने मौजूदा प्रशासन अनुभाग/शाखा को सूचित कर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण प्रक्रिया/अन्य परीक्षा संबंधी मामलों को समय पर पूरा करने के लिए सभी पत्राचार सीधे अपने मूल कार्यालयों से करेंगे।

पंजीकरण के लिए लिंक <http://cagi.azurewebsites.net> है। पंजीकरण/अनुमोदन के लिए ईआरओ एवं एचओडी का यूजर आईडी और पासवर्ड वही होगा जो 2021 की परीक्षा-1 के लिए था।

सभी पत्राचार ई-मेल आईडी saoexam@cag.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा शीघ्र/समय पर संचार के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में परीक्षा कार्य करने वाले व.प्र.अ/स.प्र.अ अपना मोबाइल न./ई-मेल आईडी उपरोक्त ई-मेल/मोबाइल न. 9899833460 पर व.प्र.अ.(परीक्षा) के साथ साझा कर सकते हैं।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय



(हीरक बागची)

व. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.10

सं. 186/43-परीक्षा/एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा/2022

दिनांक 24/03/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: विभागाध्यक्षों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभी विभागीय परीक्षाओं को बहुविकल्पीय प्रश्न स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात् के स्पष्टीकरण।

महोदया/महोदय

कृपया परीक्षा अनुभाग के 2022 के परिपत्र संख्या 1 दिनांक 06/01/2022 संदर्भ ले। विभागीय परीक्षाएं जो विभागाध्यक्षों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाती थी के स्वरूप में परम्परागत से बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) में परिवर्तन के अर्न्तगत मौजूदा नियम व शर्तों के साथ, जो विवरणात्मक स्वरूप तथा लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षाएं/व.लेखापरीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन पर क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस सम्बंध में कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्पष्टीकरण/निर्णयों की सूची संलग्न है(अनुलग्नक)।

स्पष्टीकरण/निर्णय 2022 के दूसरे भाग में 15 जुलाई 2022 से होने वाली अगली विभागीय परीक्षाओं से लागू होंगे।

भवदीय

(हीरक बागची)

व. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

2022 का परिपत्र सं.09

सं. 131/03-परीक्षा/अन्तरण/2022

दिनांक 22/03/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएस परीक्षा में शाखाओं में अन्तरण के संबंध में परीक्षा अनुभाग के दिनांक 09/08/2019 के अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं.15 के पैरा (viii) में संशोधन।

महोदया/महोदय,

एसएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखाओं के अन्तरण के संबंध में मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 09/08/2019 के सं. 686/24-परीक्षा/अन्तरण/2019 द्वारा जारी 2019 के परिपत्र सं. 15 का संदर्भ ले। उपरोक्त परिपत्र के पैरा (viii)के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु पर क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्राचार प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने पैरा को संशोधित करने का निर्णय लिया है:-

| | |
|---|---|
| 2019 के परिपत्र सं.15 का पैरा VIII | 2019 के परिपत्र सं.15 के पैरा(VIII) को निम्न के रूप में संशोधित किया गया है। |
| बहुल अंतरण: एक बार प्रदान किया गया शाखा अन्तरण अन्तिम होगा और अन्तरण लेने या बहुल अन्तरण के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि तक ऐसा कोई आवेदन लम्बित है तो उसे तुरन्त मुख्यालय कार्यालय के परीक्षा विंग के ध्यान में लाया जाए। | एक बार प्रदान की गई एसएस परीक्षा शाखा के अन्तरण की अनुमति अन्तिम होगी, सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड। के पैरा 9.2.14 की शर्तों में 'उचित शाखा' में वापिस अन्तरण को छोड़कर/एसएस की उपयुक्त शाखा में वापिस जाने का विकल्प उन अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो एसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य संवर्ग नियंत्रण कार्यालय में एएओ के पद पर आमेलित हो गए हैं। एसएस उत्तीर्ण अधिकारी, जो अभी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं |

| | |
|--|---|
| | और अन्य संवर्ग नियंत्रण कार्यालय में आमेलित नहीं हुए हैं, वे अपने मूल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही उपयुक्त शाखा में वापिस जा सकते हैं। |
|--|---|

भवदीय



(हीरक बागची)

व. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.8

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.123/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:11/03/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए 'प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा परिवेश के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने रक्षा लेखा परीक्षा के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। 'सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक' पर एक पेपर 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।
3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.07

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं. 122/24-परीक्षा/2017/डीएआई/निर्देश/2020

दिनांक 10/03/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- आईए एवं एडी में आफ लाइन मोड में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए खाली उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित अर्द्धवार्षिक रिटर्न बंद करना।

महोदया/महोदय,

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 06/01/2022 की सं. 04/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021 द्वारा जारी 2022 के परिपत्र सं. 01 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा स्थानीय रूप से आयोजित की जा रही विभागीय परीक्षाओं को पारम्परिक मोड से बहुविकल्पीय पद्धति (एमसीक्यू) में बदल दिया गया है।

2. उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, खाली उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित अर्द्धवार्षिक रिटर्न जो इस कार्यालय को परीक्षा अनुभाग के दिनांक 28/08/2017 के परिपत्र सं. 16 के अनुसार भेजी जा रही थी को अब बंद कर दिया गया है। सभी खाली उत्तर पुस्तिकाओं के मौजूदा स्टॉक को प्रशासन के प्रभारी समूह अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.6

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.09/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:07/01/2022

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1 एवं 2)

पश्चिम बंगाल, कोलकाता

विषय:- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (पश्चिम बंगाल) के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा परिवेश के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय लेखा परीक्षा (पश्चिम बंगाल) के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' के पाठ्यक्रम में 'सूचना प्रौद्योगिकी प्रैक्टिकल' को शामिल किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम इसके साथ संलग्न है जो कि जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।

3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.5

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.08/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:07/01/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा परिवेश के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने रेलवे लेखा परीक्षा के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पर एक पेपर 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।

3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.4

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.07/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:07/01/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- वित्त और संचार (पी एंड टी) लेखा परीक्षा कार्यालयों के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा वातावरण के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने वित्त और संचार (पी एंड टी) लेखा परीक्षा के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' के पाठ्यक्रम में 'सूचना प्रौद्योगिकी प्रैक्टिकल' पर एक पेपर सम्मिलित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।

3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.3

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.06/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:07/01/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालयों के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा परिवेश के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पर एक पेपर 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।

3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.2

(केवल आई ए एंड डी की लिए)

सं. 05/08-परीक्षा/संशोधित पाठ्यक्रम/2021

दिनांक 07/01/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: सिविल लेखा परीक्षा कार्यालयों के 'लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा' और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परिवर्तित लेखा परीक्षा/लेखा परिवेश के साथ, सक्षम प्राधिकारी ने सिविल लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा और 'वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा' के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। "सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक" पर एक पेपर लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है जो जारी होने की तिथि से लागू होगा।

2. संशोधित पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि के साथ एमसीक्यू स्वरूप (सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक को छोड़कर) में होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावहारिक पेपर कंप्यूटर पर दो घंटे की अवधि के साथ आयोजित किया जाएगा।
3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2022 का परिपत्र सं.1

(केवल आईए एवं एडी के लिए)

सं.04/08-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/2021

दिनांक:06/01/2022

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: विभागीय परीक्षाओं का बहु विकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के स्वरूप में परिवर्तन।
महोदया/महोदय,

विभागीय परीक्षाएं जो मुख्यालय के परीक्षा अनुभाग द्वारा आयोजित की जा रही हैं का वर्ष 2010 में पुनर्गठन किया गया था और परीक्षा का स्वरूप पारंपरिक प्रणाली से बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) में पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण के साथ बदल दिया गया था। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाएं सामान्यतया, कुछ विषयों में एमसीक्यू के साथ पारम्परिक प्रणाली में आयोजित की जाती हैं, जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, निम्नलिखित विभागीय परीक्षाओं, जिन्हें विभागाध्यक्षों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, का स्वरूप इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से, पारंपरिक रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:-

- (क) लेखापरीक्षकों/लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा
- (ख) 12वीं उत्तीर्ण मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए विभागीय परीक्षा
- (ग) व. लेखापरीक्षकों/व. लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा
- (घ) मंडलीय लेखाकार ग्रेड परीक्षा
- (ङ) एसएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा

2. तथापि, जहां भी अंग्रेजी/हिन्दी/अन्य भारतीय भाषाओं में भाषा कौशल का परीक्षण होता है वहां वर्णनात्मक रूप के मौजूदा रूप को ही जारी रखा जाना है।

3. उत्तीर्ण अंकों का मौजूदा प्रतिशत और अन्य सभी नियम और शर्तें वैसे ही जारी रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक (परीक्षा)